भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4486

उत्तर देने की तारीख 27.03.2025

आदिवासी छात्रों के लिए वित्त पोषण में कटौती

4486. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय बजट 2025 में जनजातीय और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षिक योजनाओं के लिए वित्त पोषण में कटौती की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार किस प्रकार ऐसी कटौतियों को उचित ठहराती है;

(ख) बजट कटौती के बावजूद जनजातीय और अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा आवश्यकताओं से समझौता न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) सरकार इन समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच के संभावित प्रभाव को किस प्रकार देख रही है;

(घ) क्या सरकार ने जनजातीय और अल्पसंख्यक छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर इन बजट कटौतियों के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान जनजातीय और अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक तंत्र क्रियान्वित किए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ड.): जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बीच बुनियादी और उच्चत्तर शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

i) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)

ii) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)

iii) अजजा के लिए उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति

(क) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएसटी)

(ख) उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)

iv) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजनाओं (क्र.सं. - i और ii) हेतु वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 तक के लिए ₹12516.70 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। हालाँकि, वित्त वर्ष 2024-25 तक (24.03.2025 तक) मंत्रालय द्वारा किया गया कुल व्यय ₹10577.91 करोड़ है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केवल 1938.79 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं और मंत्रालय ने अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1983.67 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का संशोधित ईएफसी प्रस्ताव पहले ही शुरू कर दिया है।

इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति तथा अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं (क्र.सं. iii और iv) के लिए वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 के लिए 755 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 तक (24.03.2025 तक) मंत्रालय द्वारा किया गया कुल व्यय 756.95 करोड़ रुपये है। उल्लेखनीय रूप से, मंत्रालय ने खुली (ओपन एंडेड) योजना होने के कारण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी) के तहत शोध छात्रों की संख्या में वृद्धि और राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत यूजीसी द्वारा अध्येतावृत्ति राशि में वृद्धि के कारण चार वर्षों के भीतर ही पांच साल का बजट खर्च कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कम राशि का बजट प्रावधान हुआ है। वित्त पोषण की कमी को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने पहले ही अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 220 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 9.95 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के लिए संशोधित ईएफसी प्रस्ताव शुरू कर दिया है।

इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह छह (6) केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है, जिसमें (i) मैट्रिक-पूर्व, (ii) मैट्रिकोत्तर और (iii) योग्यता-सह-साधन (मेरिट-कम-मीन्स) आधारित छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं शामिल हैं, जो देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कवर करते हुए लागू की जाती हैं। बजट में कमी का कारण शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 को बताया गया है, जो सरकार के लिए प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक (एलिमेंट्री) शिक्षा (कक्षा I से VIII) प्रदान करना बाध्यकारी बनाता है। तदनुसार, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना को कक्षा IX और X में पढ़ने वाले छात्रों तक सीमित कर दिया गया है। इसी तरह, अन्य मंत्रालयों/विभागों की समान योजनाओं के साथ मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और समुद्रपारीय अध्ययनों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना पढ़ो परदेश के ओवरलैप (परस्पर व्याप्ति) को देखते हुए, योजनाओं को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2024-2025 के लिए योजनाओँ को कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन नहीं मिला है। अतः, 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में बजट आवंटन कम कर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और इसके परिणामस्वरूप ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना जनवरी 2008 में कक्षा I-X के लिए अनुमोदित की गई थी और यह 2021-22 तक लागू थी, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नवंबर 2007 में कक्षा XI से पीएचडी तक के लिए शुरू की गई थी और स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक (पेशेवर) पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन (मेरिट-कम-मीन्स) आधारित छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के बहुत बड़ी संख्या में छात्र लाभान्वित हुए हैं। इन सभी योजनाओं में, 30% छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए निर्धारित की गई हैं। अब तक, 8.30 करोड़ छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जा चुकी हैं।

इसके साथ, सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित, समाज के हर वर्ग (स्तर) के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की हैं।

****